

न्यायालय तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर

प्रकरण संख्या 28 / 2022

अन्तर्गत धारा 91

राज भू राजस्व अधिनियम 1956

सरकार जरिये पटवारी हल्का सोमलपुर

श्री चॉद मोहम्मद पुत्र मंगला
जाति चीता नि० सोमलपुर अजमेर

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सोमलपुर ने रिपोर्ट प्रस्तुत की की ग्राम सोमलपुर के खसरा नम्बर 5102/3546 रकबा 7.3480 गैर मु. पहाड़ भूमि है जिसमें से 0.32 हैक्ट. पर काटों की बाड़ बना कर कब्जा कर लिया गया है।


वर्तमान में ग्राम सोमलपुर के आराजी खसरा नम्बर 5102/3546 रकबा 7.3480 हैक्ट. मुताबिक रिकार्ड गैर मु पहाड़ भूमि दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 91 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया जाकर पटवारी रिपोर्ट, राजस्व रिकार्ड व जमाबंदी संवत 2079 के अनुसार खसरा नम्बर 5102/3546 रकबा 7.3480 किस्म बीड़ गैर मु. पहाड़ भूमि दर्ज है। जिस पर अतिक्रमी श्री चॉद मोहम्मद पुत्र मंगला जाति चीता नि० सोमलपुर द्वारा 0.32 हैक्ट पर अनाधिकृत कब्जा किया जाना सिद्ध होता है।

अतः उक्त अतिक्रमित भूमि ग्राम सोमलपुर के खसरा नम्बर 5102/3546 से अतिक्रमी को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जाता है साथ ही भूमि की लगान 1 रु का पच्चास गुना 100 रु की शास्ती से दण्डित किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व भूअभि. निरीक्षक/पटवारी हल्का को शास्ती राशी की वशूली व अतिक्रमी को मौके से बेदखली हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/05/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


तहसीलदार अजमेर